

क्रमांक-466/तीन-09-04/15

वे.स.वा. दिनांक 06/03/2026

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा (म.प्र.)

—:: निविदा विज्ञप्ति (प्रथम आमंत्रण) ::—

जिला न्यायालय परिसर, खण्डवा स्थित केंटीन वर्ष 2026–2027 में (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक) वार्षिक अनुबंध पर संचालन के लिये निविदाएं सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म मय शर्तों के दिनांक 06.03.2026 से कार्यालयीन समय 11.00 से 05.00 बजे तक जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, खण्डवा के पास ₹ 100/- जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक 31.03.2026 सायं 5.00 बजे तक रहेगी। निविदा दिनांक 01.04.2026 को सायं 5.00 बजे खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। अंतिम निर्णय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का रहेगा।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खण्डवा (म.प्र.)

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म.प्र.)

जिला न्यायालय परिसर, खण्डवा स्थित कैंटीन संचालन हेतु

निविदा फार्म एवं शर्तें

—: निविदा फार्म :—

प्रथम पक्ष :- निविदाकर्ता का नाम :
पता :
मोबाईल :

द्वितीय पक्ष :- जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
खण्डवा (म.प्र.)

—000—

जिला न्यायालय परिसर, खण्डवा स्थित कैंटीन वर्ष 2026-2027 में
(अवधि दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक) संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से निर्धारित
शर्तों के अध्ययधीन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :-

॥ निर्धारित शर्तें ॥

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं दिनांक 31.03.2026 के सायं 5.00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. जिला न्यायालय परिसर, खण्डवा स्थित कैंटीन संचालन हेतु अनुज्ञा शुल्क रुपये 2,000/- प्रतिमाह की दर से देय होगा, जो अनुबंध निष्पादन के पूर्व सम्पूर्ण वर्ष का रु. 24,000/- (2000 x 12) अग्रिम रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करना होगा। निविदा की न्यूनतम शासकीय राशि (बोली) रु. 3,51,151/- होगी।
3. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम राशि (न्यूनतम राशि के समकक्ष अथवा अधिक राशि) अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता के साथ कैंटीन संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध सम्पादित किया जावेगा। कैंटीन संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन हेतु अनुबंधित निविदा राशि में कम से कम 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा किये जाने पर सहमत होने पर, अनुबंध में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्त उल्लिखित अनुक्रमांक 02 के अनुसार ही प्रथम पक्ष को अदा करना होगी। इस हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्ति के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

4. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस प्रथम सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को **निविदा राशि** (अधिकतम बोली) की **50 प्रतिशत** राशि शासन के लेखे में जमा करना होगी तथा **शेष 50 प्रतिशत राशि** अनुबंध दिनांक से ठीक छः माह पूर्ण होने के पूर्व शासन के लेखे में जमा करना होगी, अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा। यदि सफल प्रथम निविदाकर्ता द्वारा प्रदान की गई निविदा राशि का नियत समयावधि में अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सफल द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ आदि स्थान पर रहे निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रदान की गई निविदा राशि में अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जाकर नियत समयावधि में अनुबंध निष्पादित किया जा सकेगा।
5. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ **रु. 25,000/-** (अक्षरी रु. पच्चीस हजार मात्र) की जमानत (धरोहर) राशि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को उक्त जमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस लौटाया जायेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि अमानत के रूप में, निविदाकर्ता और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के संयुक्त नाम से बैंक एफ.डी.आर. तैयार कर प्रस्तुत करना होगा, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर द्वितीय पक्ष/समिति द्वारा लिये गये निर्णय व दिये गये प्रतिवेदन अनुसार राजसात की जा सकेगी।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
7. कैंटीन संचालन हेतु अनुबंध अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बन्द किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई भी राशि लौटायी नहीं जावेगी।
8. निविदा अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी। जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
9. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।
10. निविदाकर्ता कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधिविरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

3...

11. निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में व समय-समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि विशेष अवसरों पर भी कैंटीन का आवश्यक रूप से संचालन किया जावेगा।
12. निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/अस्थायी संरचना बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है अथवा मरम्मत/अनुरक्षण कार्य आवश्यक हो, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थायी निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थायी निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।
13. निविदाकर्ता कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर, अन्य सुसंगत विधि जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।
14. निविदाकर्ता कैंटीन का पृथक से विद्युत संयोजन विद्युत मण्डल से प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करेगा।
15. निविदाकर्ता कैंटीन का विधि अनुसार नगर पालिक निगम में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के "करों" का भुगतान करेगा।
16. शर्त क्रमांक 13, 14 एवं 15 से संबंधित उल्लंघन के संबंध में या अन्यथा किसी भी आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का ही रहेगा। द्वितीय पक्ष उसके लिये किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।
17. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दरें द्वितीय पक्ष से अनुमोदित करवाई जावेगी तथा अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी। निविदाकर्ता न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को (ब्रांडेड प्रोडक्ट को छोड़कर) अनुमोदित दरों से 20 (बीस) प्रतिशत कम मूल्य पर खाद्य सामग्री विक्रय करेगा।
18. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर के सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।
19. निविदाकर्ता कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस पांच सौ रुपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
20. निविदाकर्ता अपरिहार्य कार्य को छोड़कर अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा रुपये 500/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

21. कैंटीन के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।
22. भवन के नक्शे में उल्लेखित 'अ' एवं 'ब' स्थान को छोड़कर शेष भाग कैंटीन संचालन हेतु दिया जावेगा। निविदाकर्ता निविदा फार्म जमा करने से पूर्व कैंटीन के स्थान का अवलोकन आवश्यक रूप से किया जावे।
23. कैंटीन का संचालन सामान्यतः प्रातः 8.30 बजे से सायंकाल 6.30 बजे तक किया जावेगा तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।
24. अनुबंध अवधि में विद्युत तथा जल संयोजन हेतु अनुमति द्वितीय पक्ष द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।
25. सफल निविदाकर्ता द्वारा 'कैंटीन परिसर' स्वयं के व्यय पर रंगरोगन, मरम्मत, फर्नीशिंग आदि कार्य समय-समय पर किया जावेगा।
26. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।
27. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जायेगा।
28. समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।
29. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आदेशानुसार या प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा यथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।
30. कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार विवाद होने पर, विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किया जावेगा। जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

31. निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिये राशि रूपये
(अक्षरी.....)
की अधिकतम बोली प्रस्तावित की जाती है।

निविदाएं दिनांक 01.04.2026 को सायं 5.00 बजे स्थापना पर गठित समिति द्वारा खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता चाहे तो उपस्थित रह सकते हैं।

मुझे/निविदाकर्ता को निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तें स्वीकार्य हैं।

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

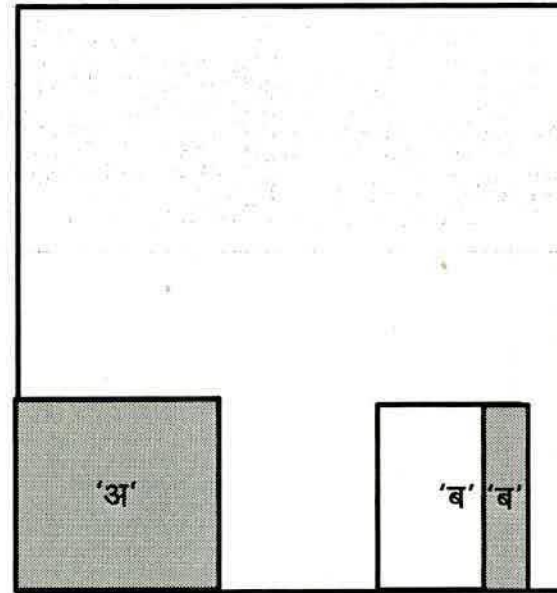
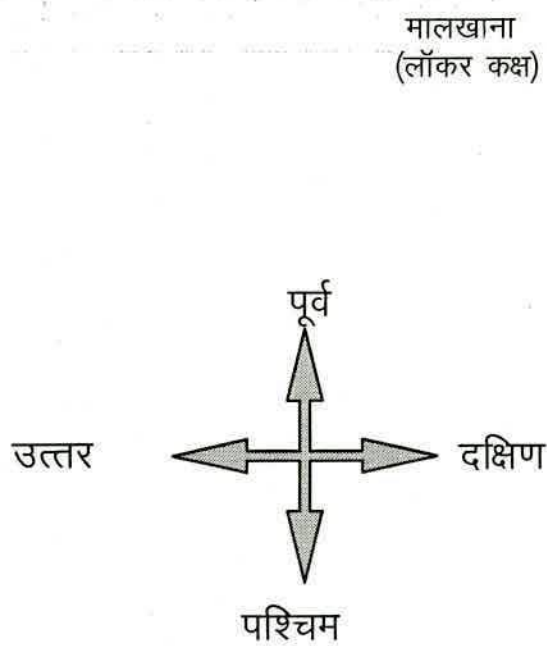
हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

संलग्न :

- 01 पहचान पत्र : आधार/पेन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र
02 अनुभव प्रमाण-पत्र

नजरी नक्शा कैंटीन परिसर

नवीन न्यायालय परिसर के पश्चात का रिक्त स्थान



नवीन न्यायालय परिसर
का बगीचा/रिक्त
स्थान

कैंटीन परिसर के सामने
खुला भाग